

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 23 नवम्बर, 2016

अधिसूचना
सं० 3/2016-सीमा शुल्क(एसजी)

सा०का०नि०- (अ) जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(1975 का 51) (इसके पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20 7225 40 30 तथा 7225 99 00 के अंतर्गत आने वाले "150 एम एम से कम अथवा इसके बराबर की नाममात्र की मोटाई वाले तथा 600 एमएम से बड़ी या इसके बराबर की नाममात्र की चौड़ाई वाले एलॉय या नॉन एलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स (कायल के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स को छोड़कर)" (इसके पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने भारत के राजपत्र, भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 2 अगस्त, 2016 को प्रकाशित सा०का०नि० सं० 759(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2016 में अपने अंतिम निष्कर्ष, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में विषयगत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात से विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग/उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंची है और क्षति पहुंचने का अंदेशा है जिससे भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम रक्षोपयाय ड्यूटी लगाया जाना अनिवार्य हो गया है;

अंतः अब सीमा शुल्क टैरिफ रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण नियमावली 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8(ख) की उपधारा (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों पर विचार करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफमद 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20, 7225 40 30 और 7225 99 00 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं के भारत में निर्यात किए जानेके समय एतद्वारा निम्नलिखित दर पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाती हैं, अर्थात् :-

- (क) 23 नवम्बर, 2016 से 22 नवम्बर, 2017 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान सीआईएफ आधार पर अमेरिकी डॉलर 504 प्रति एमटी से कम आयात कीमत पर आयात किए जाने पर दस प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;
- (ख) 23 नवम्बर, 2017 से 22 नवम्बर, 2018 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान सीआईएफ आधार पर अमेरिकी डॉलर 504 प्रति एमटी से कम आयात कीमत पर आयात किए जाने पर दस प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;
- (ग) 23 नवम्बर, 2018 से 22 मई, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान सीआईएफ आधार पर अमेरिकी डॉलर 504 प्रति एमटी से कम आयात कीमत पर आयात किए जाने पर दस प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर।

2. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जनवादी गणराज्य, उक्रेन और इंडोनेशिया के अलावा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत विकासशील देशोंके रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- 1. विषयगत वस्तुओं के दायरे में निम्नलिखित नहीं आते हैं:-

- (क) जंगरहित इस्पात के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद
- (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में पाइप लाइन परिवहन प्रणाली के प्रयोग किए जाने वाले निर्माण पाइपों के संबंध में X-52 तथा उच्चतर एपीआई ग्रेड के अनुरूप एपीआई ग्रेड स्टील;
- (ग) निर्माण बॉयल्स और प्रेशर बैसल संबंधी हॉट रोलड फ्लेट्स, जो कि आईएस 2002, और आईएस 2041 अथवा इसकी समतुल्य विनिर्दिष्टताओं एसए 515, एसए 516, एसए 537, एसए 285, एसए 299 के अनुरूप हैं;
- (घ) ग्रेड जेआईएस स्टैंडर्ड जी3106:2008, एसएम 400सी, एसएम 490सी, एसएम 570, जेआईएस जी3101:2015, एसएस 400, एसएस 490, विनिर्दिष्ट मिश्रधातु इस्पात ग्रेड एसए 203, एसए 302, एसए 533, एसए 537, एसए 542, 15 एमओ₃, 20 एमएन मोनि 55, 9 सीआरएलएमओ और एटमांसफेरिक कोरोजन रिजिजटिंग स्टील ग्रेड जेआईएस जी3125₂₂, कॉर्टेन₂₃, एसटीएम ए 242₂₄, एसटीएम ए 588₂₅ तथा एसटीएम ए 606₂₆;
- (ङ) इस्पात की प्लेटें, जो 1:3 की कटौती अनुपात को पूरा करती हैं और उनकी मोटाई 85 एमएम से ज्यादा है।
- (च) इस्पात सी 45, पी 20, 4140 ग्रेडके विशेष ग्रेड मैटिरियल।

(छ) सललकॉन इलेक्ट्रकल स्टील ।

(ऑ) कलेडेड स्टील

(झ) क्वेचड एवं टेपरंड स्टील ।

स्पष्टीकरण 2: इस अधिसूचना के आशय “सीआईएफ आधारित आयात कीमत” अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत तथा निर्धारित निर्धारण मूल्य से है ।

(फा0 सं0 354/158/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार